






पंचायतलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 19/2022

तारीखरजु:- 10-11-2022

उनवान:- घारासिंह बनाम संतो देवी

प्रार्थना पत्र उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा (त्रिच)

दिनांक	फर्द अहकाम
01/11/22	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र मु०न० 42/2022 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.08.2022 की अवहलना किये जाने बावत उल्लंघन अस्थायी निषेधाज्ञा (त्रिच) पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (दुर्गम प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p style="text-align: right;">7044-47 10-11-2022</p>
23-11-22	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी नं० 1 सगायत उनकी ओर से डा. आर.के. शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वस्तुतः आदेश दिनांक 7-12-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
7/12/22	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... प्रसाद शर्मा... पद पदारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 12.11.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
12/12/22	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... प्रसाद शर्मा... पद पदारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 21.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
21/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रकम गया है। पीठासीन अधिकारी... प्रसाद शर्मा... पद पदारे हैं। है। गतानुसार दिनांक... 29.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>08/10/25</p> <p>धारा घारा Idea र</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>पत्रावली प्राची वकील के प्रार्थना पत्र से दिनांक 14/10/25 से तबत की गयी प्राची वकील ने इस तबत प्रार्थना पत्र रोजा किया कि इस पत्रकारों उक्त पत्रावली में आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते है इस तबत प्राची वकील ने उपरोक्त होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। एवं उक्त पत्रावली को नोट सूत्र में खारिज करने का निवेदन किया। प्राची वकील के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्राची वकील का प्रार्थना पत्र नोट सूत्र में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैली सुमार होकर नठवर ले कर कर दारिद्र्य दफ्तर है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>